न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास – पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–56/2021
जी.सी..एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2021/78

अपीलान्ट | **बनाम** | **रेस्पोडेन्ट्स**

याकूब खां पुत्र नंदू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम कुण्डली तहसील डीडवाना जिला नागौर

1. जिला रसद अधिकारी, नागौर
2. प्रर्वतन निरीक्षक डीडवाना जिला नागौर

उपस्थिति–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री रामकिशोर सोनी।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया

निर्णय **दिनांक–** 11-05-2022

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 131/2020 में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2021 के विरूद्ध यह अपील पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. मयाद के बिन्दु पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अपीलान्ट एक वृद्ध व्यक्ति है तथा अपीलान्ट को प्रकरण की पूरी नकले प्राप्त नहीं हुई थी जिस कारण से अपीलान्ट को प्रकरण की पुरी नकले प्राप्त करने के लिये सूचना के अधिकारी से आवेदन प्रस्तुत करने पर दिनांक 23.06.2021 को नकले प्राप्त हुई जिस कारण प्रार्थी समय पर उक्त अपील प्रस्तुत नहीं कर सका था तथा दिनांक 23.06.2021 को नकले प्राप्त होते ही अपीलान्ट बिना किसी विलम्ब के न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील पेश की है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को मामले की परिस्थितियों को मदेनजर रखते हुए न्याय हित मे विलम्ब का शमन किया जाना अति आवश्यक व न्यायसंगत होने का कथन करते हुए प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायहित विलम्ब को शमन किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मेरिट पर सुनवाई किया जाना उचित होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में अपीलान्ट की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को ग्राम कुण्डली तहसील डीडवाना में उचित मुल्य की दुकान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नियमानुसार वर्ष 1994 से जारी की हुई अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र 102/94 है, जो पिछले करीब 27 सालों से राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो व मानको के आधार पर व्यवसाय कर उचित मुल्य पर सामानों की बिकी जाती रही है।

3(1)–अपीलान्ट जरिये प्राधिकार पत्र संख्या 102/94 से कुण्डली तहसील डीडवाना में उचित मुल्य दुकान पोश मशीन संख्या 13110 [illegible] रहा है तथा अपीलांट ने सदैव पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से प्राधिकार पत्र की श[illegible] क[illegible]ार उचित मुल्य दुकान का संचालन करता रहा है जिससे किसी भी उपभोक्ता राशन[illegible] को कोई शिकायत नहीं रही थी व नियमानुसार दुकान संचालित करता रहा। दिनांक 23.12.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक श्री रामावतार पुनीया ने अपीलान्ट की दुकान का निरीक्षण करना बताया [illegible] यह आक्षेप लगाये

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 16:31:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

कि वक्त निरीक्षण उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र व नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या के द्वारा किये जा रहे निरीक्षण के समय ही उक्त दोनो दस्तावेज यथा प्राधिकार पत्र एवं नक्शा की प्रति उपलब्ध करवा दी थी तत्पश्चात पुनः अपीलान्ट ने अपने जवाब प्रस्तुत करते समय भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष उक्त दोनो दस्तावेज पुनः प्रस्तुत किये है फिर भी रेस्पो सख्या 1 जानबुझकर अपीलान्ट के विरूद्ध जांच रिपोर्ट गलत बनाकर प्रस्तुत की गई है, इसी प्रकार से रेस्पो संख्या 2 ने अपने जांच प्रतिवेदन में आरोपसंख्या 2 में यह अंकित किया है कि वक्त निरीक्षण उचित मुल्य दुकान व गोदाम का संचालन अन्यत्र स्थान पर होना पाया गया तथा नक्शा अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणित नहीं होना पाया गया जबकि वास्तविकता यह है कि पूर्व में इस उचित मुल्य की दुकान का गौदाम पेमाराम नामक व्यक्ति के भवन में बनाया हुआ था जंहा पर अतिरिक्त सामग्री का भण्डारण किया जाता था लेकिन बाद में पेमाराम के द्वारा उक्त गोदाम की जायगा को अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया जिस कारण से उक्त गौदाम को स्थानान्तरित किया गया जिसकी सूचना अपीलान्ट के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को दी जा चुकी है तथा इस का नक्शा वर्ष 2005 में जब सिक्योरिटी राशि बढाई उसी वक्त नक्शा भी प्रस्तुत कर दिया गया था जिसकी फोटो प्रति प्रस्तुत की जा रही है उस समय से लेकर दिनांक 22.12.2020 तक रेस्पो संख्या 1 व 2 को कभी भी आपति नहीं हुई लेकिन अभी अपीलान्ट संख्या 2 जो स्वयं ही पक्षपाती किस्म के व्यक्ति है तथा ग्राम कुण्डली की वर्तमान राजनीति से प्रेरित होकर अपीलान्ट के विरूद्ध झुठी जांच प्रतिवेदन बनाकर रेस्पो.संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया है।

3(2)—रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी जांच रिपोर्ट में पैरा संख्या 3 में यह आरोप लगाया है कि अपीलान्ट के द्वारा स्टाक रजिस्टर का सधारण नहीं किया गया है लेकिन नियमानुसार अपीलान्ट के द्वारा स्टाक रजिस्टर का संधारण किया हुआ है।

3(3)—रेस्पो संख्या 2 ने अपनी जांच रिपोर्ट में पैरा संख्या 4 में यह आरोप गलत लगाया है कि वक्त निरीक्षण भौतिक सत्यापन में दाल कास्टाक 43 कि.ग्रा कम पाया गया लेकिन वास्तविकता में जितनी दाल का आंवटन वितरण के लिये किया गया था उक्त समस्त दाल की मात्रा का नियमानुसार वितरण कर दिया गया है जिस कारण से जांच रिपोर्ट का आरोप संख्या 4 गलत तथा झुठा है।

3(4)—रेस्पो संख्या 2 ने अपनी जांच रिपोर्ट में पैरा संख्या 5 में यह गलत आरोप लगाया है कि वक्त निरीक्षण पोश मशीन में रोल लगा हुआ नहीं था जबकि वास्तव में रोल लगा हुआ था लेकिन तकनीकी खराबी के कारण मशीन से रोल का निर्गमन नहीं हो पा रहा था लेकिन सामग्री वितरण सही तरीके से हो रही थी।

3(5)—रेस्पो संख्या 2 ने अपनी जांच रिपोर्ट में पैरा संख्या 6 में यह गलत आरोप लगाया है कि उपभोक्ताओ को वितरण की पर्ची नहीं दी जा रही थी यहां यह लिखा जाना उचित है कि तकनीकी खराबी के कारण पोश मशीन से रोल का निर्गमन नहीं हो पा रहा था लेकिन सामग्री वितरण सही तरीके से हो रही थी।

3(6)—रेस्पो संख्या 2 ने अपनी जांच रिपोर्ट में पैरा संख्या 7 में यह गलत आरोप लगाया है कि उचित मूल्य की दुकान पर स्टॉक तथा मुल्य की सूची अपूर्ण पाई गई जबकि मुल्य की सूची तथा स्टॉक की सूचना अंकित की हुई थी यदि सूची अपूर्ण होती तो उसके सबुत में मुल्य तथा सूची बोर्ड की फोटो भी रेस्पो सख्या 2 के द्वारा प्रस्तुत की जाती लेकिन रेस्पो संख्या 2 ने ऐसे कोई भी फोटोग्राफ्स प्रस्तुत नहीं किये जिस कारण से भी आरोप संख्या 7 गलत तथा कपोल कल्पित प्रतित हो रहा है।

3(7)—रेस्पो संख्या 2 ने अपनी जांच रिपोर्ट में पैरा संख्या 8 में यह गलत आरोप लगाया है कि वक्त निरीक्षण अप्रमाणित कम्प्युटर क[illegible]या है यहां यह लिखा जाना उचित है कि कोरोना काल की वजह [illegible] नहीं करवाया जा सका लेकिन कांटा पूर्णतः सही है जिसकी जांच करवाई जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:31:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

3(8)—रेस्पो संख्या 2 ने अपनी जांच रिपोर्ट में पैरा संख्या 9 में यह गलत आरोप लगाया है कि अपीलान्ट के द्वारा उपभोक्तओं के साथ लड़ाई झगड़ा किया जाता पूर्ण रूप से गलत है क्योंकि यदि अपीलान्ट के द्वारा उपभोक्ताओं से लड़ाई झगड़ा किया जाता तो 27 सालों में कोई भी उपभोक्ता के द्वारा मुकदमा आदि दर्ज करवाया जाता लेकिन ऐसा कोई भी प्रकरण आज तक अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज होना नहीं पाया है जिस कारण आरोप संख्या 9 स्वतः ही झुठा साबित होता है।

3(9)—रेस्पो संख्या 2 ने अपनी जांच रिपोर्ट में पैरा संख्या 10 में यह गलत आरोप लगाया है कि अपीलान्ट ने माह अगस्त 2020 में दिनांक 10.8.2020 के बाद भी गैहू के पैसे वसुले है बल्कि अपीलान्ट पिछले 27 सालों से रेस्पो सख्या 1 व 2 तथा राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना करता हुआ सुचारू रूप से सामग्री का वितरण करता रहा है।

3(10)—रेस्पो संख्या 2 ने अपनी जांच रिपोर्ट में पैरा संख्या 11 में यह गलत आरोप लगाया है कि पांच उपभोक्ता जिनके राशन कार्ड संख्या 20000817451, 200001163563, 200001018813, 200001164214 तथा 200004340419 को राशन की सामग्री का वितरण नहीं किया है जबकि वास्तविकता में इन उपभोक्ताओं को सामान का वितरण इलैक्ट्रोनिक प्रणाली से यथा फिंगर प्रिंट तथा ओटोपी के माध्यम से किया गया है तथा कार्ड धारकों के मूल राशनकार्ड की जांच से रेस्पों सख्या 2 के द्वारा लगाया गया यह आरोप स्वतः ही साबित हो जायेगा।

3(11)—रेस्पो संख्या 2 ने अपनी जांच रिपोर्ट में पैरा संख्या 12 में यह गलत आरोप लगाया है जबकि वास्तविकता में वन नेशन वन राशनकार्ड के तहत आधार सीडीग कार्य में प्रारम्भ में 43 यूनिट थे जिनमें से 170 यूनिटों के आधार सीडिंग करवा दिये गये थे तथा कुछ नाम हटवा दिये है तथा कुछ की स्लिपों के माध्यम से सीडिंग की गई तथा वर्तमान में आधार सीडंग का कार्य जारी है।

3(12)—उक्त ग्राम कुण्डली की वर्तमान राजनीति से प्रेरित होकर जांच रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 झुठे आक्षेप लगाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी जांच रिपोर्ट रेस्पो. संख्या 1 को भेजी जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कार्यवाही करते हुए बिना किसी भी प्रकार की सुनवाई या अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का मौका दिये बगैर ही आनन फानन में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 24.12..2020 को निलम्बित कर दिया जबकि रेस्पो.संख्या 1 को अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जाने से पूर्व एक बार अपीलान्ट को सूनवाई का अवसर देना उचित व न्यायसंगत तथा लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने केवल मात्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से सही व सत्य मानकर तुरन्त प्रभाव से दिनांक 24,12,2020 को अपीलान्ट का प्राधिकार लाईसेन्स निलम्बित कर दिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलान्ट के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने या आदेश जारी करने से पहले एक बार अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर सम्पूर्ण स्थिति की जांच करने के बाद ही किसी भी प्रकार का आदेश जारी करना चाहिये लेकिन रेस्पो संख्या 1 ने अपनी मनमानी करते हुऐ विधि के सिद्धान्तों को ताक में रखते हुए दुर्भावनावश अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलबित कर दिया जो सरासर गलत है।

3(13)—रेस्पो. संख्या 1 ने दिनांक 24.12.2020 को बिना किसी भी जांच या सुनवाई की प्रकिया अपनाते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलबित कर दिया तथा इसी कम में दिनांक 22.01.2021 को अपीलान्ट ने अपना जवाब पेश किया जिस पर ध्यान दिये बगैर ही रेस्पो संख्या 1 ने अपीलान्ट का प्राधिकार बिना किसी सुनवाई व विधिवत प्रकिया अपनाये हुए ही दिनांक 08.03.2021 को निरस्त कर दिया है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जिस अधिकारी के द्वारा कथित कोई जांच प्रतिवेदन बनाया जाकर पेश किया जाता है तो उसके संबंध में डिलर की पूर्ण सुनवाई की जाना व डिलर को अपने ओर से साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिये व कोरोना जैसी महामारी के समय में इतनी जल्दबाजी में बिना किसी अर्जेन्सी के ऐसा कठोरतम निर्णय लिया जाना कतई आवश्यक नहीं होते हुए इन सभी तथ्यों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 16:31:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

नजरअन्दाज करते हुए विद्वान जिला रसद अधिकारी ने एकतरफा निर्णय पारित कर दिया है जांच अधिकारी व जिला रसद अधिकारी ने निर्णय प्रार्थी/अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा, बिना किसी सुनवाई के दिनांक 08.03.2021 को निर्णय पारित कर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया है जांच अधिकारी ने केवल मात्र अपना टारगेट पूरा करने के लिये तथा ग्राम कुण्डली के कुछ राजनीति से प्रेरित लोगों से ही प्रेरित होकर परिग्रह से ग्रसित होकर ही अपीलान्ट के विरूद्ध कथित जांच प्रतिवेदन दिनांक 23.12.2020 को बनाया है। प्रवर्तन निरीक्षक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी जांच रिपोर्ट/शिकायत दिनांक 23.12.20 को बनाई ऐसी स्थिति में यह साफ हो जाता है अपीलान्ट के विरूद्ध की गई कार्यवाही पूर्णरूपेण दुर्भावनाओं से ग्रसित है तथा केवलमात्र अपीलान्ट को टारगेट बनाकर ही यह सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। ग्राम कुण्डली के करीब 250 लोगों ने अपीलान्ट के द्वारा सही तथा सूचारू रूप से वितरण किया जाना एक प्रतिवेदन बनाकर रेस्पोसंख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया लेकिन रेस्पो संख्या 1 ने केवल मात्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के द्वारा मनमाने पूर्वक बनाई गई रिपोर्ट को सही मान लिया तथा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 24.12.2020 तथा दिनांक 08.3.2021 को विधी विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट ने आदेश जैर अपील पारित करते समय आवश्यक वस्तु अधिनियम व राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण व विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों की सही प्रकार से व्याख्या नहीं की गई है ओर उक्त आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना व नजर अंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो हस्तक्षेप किये जाने योग्य है।

3(14)—अपीलान्ट के द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया गया है जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम व राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण व विनियमन) आदेश 1976 के किसी भी शर्त या निबन्धनों का उल्लंघन होता है तथा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र में बतायी गई किसी शर्त का उल्लघन अपीलान्ट ने नहीं किया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को जारी किया प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाना किसी भी प्रकार से कानून सम्मत नहीं था इस आधार पर भी आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

3(15)—अपीलान्ट के विरूद्ध रेस्पो संख्या 2 ने जो मौका फर्द बनाई है उस पर रेस्पो संख्या 2 केवल मात्र शिकायतकर्ता को ही मोतबिर बनाया है जबकि ग्राम कुण्डली में अन्य स्वतन्त्र व्यक्तियों को भी मोतबिर बनाया जा सकता था लेकिन केवल मात्र अपीलान्ट को तंग परेशान करने के मानस से ही जांच रिपोर्ट तथा मौका रिपोर्ट बनाई है।

3(16)—अपीलान्ट ने ऑनलाईन राशन सामग्री का वितरण किया हैजो राशन कार्ड या रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सका इसका प्रमुख कारण यहरहा है कि कोरोना सकंमण हो जाने के डर से खाद्य विभाग राज.सरकार ने यह आदेश जारी किये गये थे कि फिंगर प्रिन्ट या अंगुठा निशान लगाकर केवल मात्र ओ टी पी से ही सामान का वितरण की जावे इस आदेश की पालना में वितरण किया गया था जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमिता नहीं हुई है।

3(17)— अपीलान्ट एक वृद्ध व्यक्ति है तथा कुचामन सिटी नागौर से करीब 100 कि.मी की दरी पर स्थित है जिस कारण अपीलान्ट रेस्पो. के कार्यालय में सम्पर्क नहीं कर सका इसके अलावा रेस्पो. ने अपीलान्ट को जारी किये गये नोटिस की तामिल से पूर्व ही अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रार्थी को जारी किये गये प्राधिकार पत्र को दिनांक 24.12.20 को निलम्बित तथा दिनांक 08.03.2021 को निरस्त कर दिया है जो सरासर गलत है।

3(18)—अपीलान्ट द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर सर्वप्रथम जांच अधिकारी द्वारा इस संबध में बनी वितरण कमेटी समक्ष प्रकरण रखा जाता है तत्पश्चात उपभोक्ताओं से सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है ओर डीलर से भी सम्पूर्ण साक्ष्य सबूत प्राप्त कर कार्यवाही की जाती है जबकि इस प्रकरण में ऐसा कुछ नहीं किया गया है केवल मात्र पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर [illegible] करते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया है जो सरासर गलत है।

3(19)—सम्पूर्ण वाकियात व परिस्थितियों को [illegible] हुए यह साफ साबित होता है कि प्रार्थी/अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट के द्वारा बिना [illegible] तंग व परेशान किया जा रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 16:31:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

तथा प्रार्थी को मेलाफाईड इन्टेशन से तंग व परेशान किया जा रहा है। उक्त सभी कारणो से प्रेरित होकर अपीलान्ट ने माननीय उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट पिटिशन संख्या 8585/2021 पेश की है जिसमें अपीलान्ट को हाजा न्यायालय में उक्त अपील पेश करने के निर्देश दिनांक 08.07.2021 को जारी किये गये है जिसकी फोटो प्रति इस अपील के साथ पेश की गई है, का कथन करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा जारी किये आदेश दिनांक 08.03.2021 को अपास्त करने एवं अपीलान्ट के पक्ष में जारी किया गया प्राधिकार पत्र को बहाल करने का निवेदन किया गया है।

4. प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने रेस्पोडेन्टस की और से बहस में कथन किया कि प्रकरण में अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी महोदय डीडवाना के समक्ष प्रस्तुत शिकायत के संबंध में उपभोक्ता पखवाड़े में दिनांक 23.12.2020 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान पर पहूंच कर श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जॉच कर अपीलान्ट व मौतबिरान के समक्ष जॉच की जाकर सम्पूर्ण रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा उक्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट द्वारा बरती गई अनियमितओं के संबंध में अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस दिया गया, जिस पर अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष दिनांक 22.1.2021 को उपस्थित होकर अपना जबाब प्रस्तुत किया, इसके पश्चात अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब एव रिकार्ड के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.03.2021 को निर्णय जैर अपील पारित कर अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र के तहत जमा शुदा प्रतिभूति राशि 1000/–रूपये जब्त बहक सरकार किये जाकर अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र को निरस्त करने एवं गबन की गई सामग्री पीडीआरएक्ट में नियमानुसार वसूली के आदेश दिये गये है, जो पूर्णतया उचित है।

4(1)–अपीलान्ट के विरूद्ध प्रथम आरोप कि वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर प्राधिकार पत्र व नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं द्वितीय आरोप कि वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान व गोदाम का संचालन अन्यत्र स्थान पर होना पाया गया तथा नक्शा जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं पाया गया। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने दोनो आरोपो का एक ही जबाब पेश कर प्राधिकार पत्र व नक्शे की छाया प्रति प्रस्तुत की, परन्तु उक्त प्राधिकार पत्र व नक्शे की छाया प्रति अपीलान्ट के स्वंय के हस्ताक्षर अर्थात स्वय प्रमाणित नहीं होने से उक्त दस्तावेज में साक्ष्य के रूप में ग्राहय किये जाने योग्य नहीं है। अपीलान्ट डीलर को जो प्राधिकार पत्र जारी किया गया है उसमें पेमाराम माली की दुकान बताई गई है जबकि अपीलान्ट डीलर ने जबाब के साथ जो दुकान का नक्शा पेश किया है। वह स्वंय का मकान बताया है जो भी जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। दुकान के नक्शा कब संशोधन करवाया इसका भी अप्रार्थी डीलर ने अपने जबाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें भी कारबार का परिसर– ग्राम कुड़ली में पेमाराम माली की दुकान अंकित है, इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा कारबार हेतु सक्षम अधिकारी से स्थान परिवर्तन करने की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त दोनों आरोप प्रमाणित होने से अपील खारिज योग्य है।

4(2)–अपीलान्ट के विरूद्ध तृतीय आरोप यह है कि वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाना पाया गया। इस पर अप्रार्थी डीलर का जबाब है कि आर्न लाईन राशन वितरण प्रणाली हेतु नहीं किया गया। आगे से उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक रजिस्टर का संधारण सुचारू रूप से कर लिया जायेगा। आन लाईन राशन वितरण प्रणाली में केवल वितरण रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाता है। जबकि स्टॉक रजिस्टर का संधारण किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में भी केवल मात्र स्टॉक रजिस्टर का संधारण किया हुआ है, का कथन किया है परन्तु उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए अपीलान्ट का कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा स्टॉक रजिस्टर संधारित किये जाने से आरोप भी प्रमाणित होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:31:39 IST
Reason: Self Attested

कलक्टर, नागौर

4(3)–अपीलान्ट के विरूद्ध चतुर्थ आरोप है कि वक्त निरीक्षण भोतिक सत्यापन्न में दाल का स्टॉक 43 किग्रा कम पाया गया। इस पर अपीलान्ट ने अपने जबाब मे यह बताया है कि दाल का पूर्णतः वितरण कर दिया गया है। दाल का स्टॉक वर्तमान मे निल है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 23.12.2020 को वक्त निरीक्षण फर्द मोका व निरीक्षण प्रपत्र तैयार किये जिसमें प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा तैयार की गई फर्द मौका में दाल का पोश मशीन के अनुसार 102 किलों में से हाजिर स्टॉक 59 किलोग्राम दिखाकर 43 किलोग्राम दाल कम पाना दर्शाया है, जिसमें यह स्पष्ट अंकित है कि कम पाये गये स्टॉक का अन्यत्र कहीं पर भी भण्डारण नहीं किया गया है। जिससे अपीलान्ट ने सही होना मान अपने हस्ताक्षर दो गवाहान मोहम्मद परवेज पुत्र भवरू खां व रणजीत खान पुत्र सुल्लान खान के सामने फर्द को पढ़कर सही होना मानकर किये गये है। अपीलान्ट ने अपील में कथन किया की जितनी दाल का आवंटन वितरण के लिए किया गया था उस समस्त दाल की मात्रा का नियमानुसार वितरण कर दिया है। अपीलान्ट द्वारा अपने उक्त कथन को सही साबित करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, केवल कथन मात्र के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आरोप अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आरोप साबित होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

4(4)–अपीलान्ट के विरूद्ध पंचम व छठा आरोप है कि वक्त निरीक्षण पोश मशीन में रोल लगा हुआ नहीं पाया गया व अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण की पर्ची नहीं दी जा रही है। इस संबंध में अपीलान्ट ने अपने जबाब में बताया कि पोश मशीन में रोल लगा हुआ था मशीन में खराबी के कारण पर्ची का निर्गमन नहीं हो रहा था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा तैयार की गई फर्द मौका रिपोर्ट जो दो गवाहान के समक्ष तैयार की गई है, में स्पष्ट अंकित किया गया है कि पोश मशीन में रोल लगा हुआ नहीं पाया गया और मौके पर उपस्थित आम उपभोक्ताओं ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा वितरण की पर्ची पोश मशीन की नहीं दी जाती है। फर्द मौका पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है जो उसने पढ़कर सही होना मानकर किये है। अपीलान्ट द्वारा उक्तानुसार ही कथन अपील में किये है, परन्तु अपीलान्ट द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए अपीलान्ट का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, इस कारण भी अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

4(5)–अपीलान्ट के विरूद्ध सातवां आरोप है कि वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर मूल्य व स्टॉक सूची अपूर्ण पाई गई। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने जबाब में कथन किया कि वर्षा एवं धूल के कारण उचित मूल्य दुकान पर मूल्य एवं स्टॉक सूची आंशिक रूप से धूधंली हो गई, जिसे पुनः सही करवा लिया जावेगा। अपीलान्ट ने अपील में कथन किया है कि मूल्य की सूची तथा स्टॉक की सूचना अंकित की हुई थी यदि सूची अपूर्ण होती तो उसके सबूत में मूल्य तथा सूची बोर्ड की फोटो भी प्रस्तुत की जाती लेकिन ऐसे कोई फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किये है, इसलिए यह आरोप गलत है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में वर्षा एवं धूल के कारण मूल्य एवं स्टॉक सूची आंशिक रूप से धूधंली होने के कथन किया है। वहीं दूसरी ओर अपील में मूल्य की सूची तथा स्टॉक की सूचना अंकित की हुई होना बताया है इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में किये गये कथन एवं अपील में किये गये कथनों में विरोधाभाष है। इसके अलावा निरीक्षण प्रपत्र पत्र के बिन्दु संख्या 10 से 12 के अनुसार मूल्य एवं स्टॉक, आवश्यक सूचनाऐ, टेलीफोन नम्बर इत्यादि का प्रदर्शन नहीं किया हुआ होना पाया गया है, उक्त निरीक्षण प्रपत्र पर दो मौबिरान एवं अपीलान्ट ने उक्त अंकन को स्वीकार करते हुऐ हस्ताक्षर किये है। इसलिए अपीलान्ट का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है एवं अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आरोप पूर्णतया प्रमाणित होने से अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

4(6)–अपीलान्ट के विरूद्ध आठवां आरोप है कि निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर अप्रमाणित कांटा पाया गया। जिस पर अपीलान्ट द्वारा अवगत करवाया कि कोरोना काल में कम्प्यूटरीकृत कांटा को प्रमाणित करने वाले नहीं आये। अपीलान्ट द्वारा अपील में कथन किया कि कोरोना काल की वजह से कांटे को प्रमाणित नहीं करवाया जा सका लेकिन कांटा पूर्णतः सही है, जिसकी जॉच करवाई जा सकती है। अपीलान्ट के उक्त कथन के संबंध में निवेदन है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 18:31:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

निरीक्षण की दिनांक 23.12.2020 तक आम जन की सारी व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से संचालित हो चुकी थी। इस नौ माह की अवधि का फायदा लेने के लिए इसे कोरोना काल बता कर अपीलान्ट उक्त आरोप से बच नहीं सकता है। इसके अलावा अपीलान्ट ने यह स्वीकार किया है कि कांटा प्रमाणित नहीं था, ऐसी स्थिति में अप्रमाणित कांटे से तौल कर सामग्री का वितरण नहीं किया जा सकता है। कांटा प्रमाणित करवाने की जिम्मेदारी स्वंय अपीलान्ट की थी, इसलिए उसे कांटा प्रमाणित करवाना चाहिए था अथवा अन्य प्रमाणित कांटा से ही तौल कर सामग्री का वितरण करना चाहिए था। इसलिए अपीलान्ट का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नही है एवं अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आरोप पूर्ण रूप से साबित होने से अपील किये जाने योग्य है।

4(7)—अपीलान्ट के विरूद्ध नवम व दशम आरोप है कि अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण में आना कानी करना व उपभोक्ताओं के साथ झगड़ा करना तथा माह अगस्त 2020 में दिनांक 10.08.2020 के पश्चात भी गेहूँ के पैसे वसूल किये गये। अपीलान्ट ने अपने जबाब में उक्त आरोप के संबंध में कुछ भी कथन अधिनस्थ न्यायालय में नहीं किये परन्तु जबाब के साथ ग्रामवासियों के हस्ताक्षरयुक्त एक पत्र पेश किया है, जिसमें यह बताया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पांच किलो गेहूँ के पैसे 01.07.2020 से 10.08.2020 तक 2/—रूपये प्रति किलो के हिसाब से पैसे लिये उसके बाद में पैसे नहीं लिये। अपीलान्ट द्वारा नियमित रूप से राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है व किसी प्रकार की गाली गलोच व लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा अपील में उपभोक्ताओं के साथ लड़ाई झगड़ा करने के कथन को गलत बताया है तथा यह भी कथन किया है कि यदि अपीलान्ट के द्वारा उपभोक्ताओं से लड़ाई झगड़ा किया जाता तो 27 सालों में कोई भी उपभोक्ता के द्वारा मुकदमा आदि दर्ज करवाया जाता लेकिन ऐसा कोई भी प्रकरण आज तक अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज नहीं है। अपीलान्ट ने अपील में यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट ने माह अगस्त 2020 में दिनांक 10.08.2020 के बाद भी गेहूँ के पैसे वसूल है बल्कि पिछले 27 सालों से रेस्पो. संख्या 1 व 2 व राज्य सरकार के द्वारा जारी निर्देशो की पालना करते हुए सुचारू रूप से सामग्री का वितरण करता रहा है, इसलिए आरोप खारिज किये जाने योग्य है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निरीक्षक ने मौके पर उपस्थित गवाहान मोहसीन अली पुत्र शौकत अली, शकरू खां पुत्र फूले खां, रणजीत खां पुत्र सुल्तान खां, परवेज मोहम्मद पुत्र भंवरू खां, इकबाल मोहम्मद पुत्र बाबू खां जातियान कायमखानी निवासी कुड़ली ने अपने पर्चा बयान व सामूहिक बयान में उपरोक्त आरोप की पुष्टि में स्पष्ट कथन किया है कि 10 अगस्त के बार भी हमसे गेहूँ के पैसे वसूल किये गये तथा समय पर गेहू वितरित नहीं करता है। अपीलान्ट द्वारा राशन की दुकान अपने घर में संचालित करने से विवाद की स्थिति बन जाती है। अपीलान्ट के साथ—साथ घर की औरते व लड़किया भी लड़ाई झगड़ा करने लग जाती है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत ग्रामवासियों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र अपने समर्थकों से बाद में सोच समझकर अपने बचाव में तैयार किया गया है। इसलिए अपीलान्ट के उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आरोप पूर्णतः प्रमाणित होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है।

4(8)—अपीलान्ट पर इग्यारवा आरोप यह कि अपीलान्ट द्वारा पांच उपभोक्ताओं जिनके राशन कार्ड 200000817451. 200001163563 200001018813 200001164214 200004340419 पर ऑनलाईन ट्रांजेक्शन कर भोतिक रूप से राशन सामग्री नहीं देकर 5.75 क्वि0 गेंहू व 18 किग्रा दाल का गबन किया गया। अपीलान्ट ने अपने जबाब में उक्त गबन का आरोप झूठा होना बताया है। इन सभी राशन कार्ड धारकों को फिगर या ओटीपी के माध्यम से नियमित रूप से भोतिक वितरण करके उपरोक्त कार्ड धारकों के राशन कार्डो में देय मात्रा की ऐन्ट्री की गई है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु [illegible] निवेदन किया। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर मोके पर उपस्थित गवाहान मो[illegible] पुत्र शोकतअली, शकरू खां पुत्र फूले खां, रणजीत खां पुत्र सुलतान [illegible] खां, इकबाल मोहम्मद पुत्र बाबू खां जातियान कायमखानी नि[illegible] लिये गये जिसमें उक्त गवाहान ने राशन कार्ड में दर्ज सामग्री के [illegible] सामग्री नहीं दिया जाना बताया है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:31:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

गवाहान के राशन कार्ड नम्बर 200000817451, 200001163563, 200001018813, 200001164214, 200004340419 पर ऑनलाईन ट्राजेक्शन व राशन कार्डों में दर्ज सामग्री की जॉच करने पर उक्त राशन कार्डों में 5.75 क्वि0 गेंहू व 18 किग्रा दाल का ऑनलाईन ट्रान्जेकशन हुआ है, किन्तु उक्त वितरण सामग्री राशन कार्ड में दर्ज नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा 5.75 क्वि0 गेंहू व 18 किग्रा दाल का गबन किया गया है। उपभोक्ताओं से उक्त मूल राशन कार्डो को वास्ते सबूत मौके पर ही लिये गये है, परन्तु उक्त राशन कार्डों में उक्त सामग्री वितरण का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसलिए अपीलान्ट का उक्त स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से, अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप सही साबित होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है।

4(9)—अपीलान्ट पर बारहवां आरोप यह कि अपीलान्ट द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आधार सीडिंग की प्रगति के संबंध में प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा बार–बार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी आधार सीडिंग कार्य में असहयोग किया जा रहा है तथा आदिनांक तक 246 यूनिट सीडिंग करवाया जाना शेष है। इस संबंध में अपीलान्ट ने अपने जबाब में बताया कि बन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आधार सीडिंग कार्य में प्रारम्भ में 430 यूनिट थे, जिसमें से 170 यूनिटों के आधार सीडिंग करवा दिये गये थे, कुछ पात्रों के नाम हटवा दिये गये तथा कुछ लोगों की स्लीपों की सीडिंग करवाई गई है। निर्देशानुसार घर घर जाकर लोगों की सीडिंग का कार्य करवा रहे है। उक्तानुसार ही कथन प्रस्तुत अपील में किये गये है। इस प्रकार अपीलान्ट के कथन से ही यह स्पष्ट है कि प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा बार–बार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया है। इसलिए अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आरोप भी पूर्णतया साबित होने से का कथन करते हुऐ प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, तथ्यहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया है।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के समक्ष प्रस्तुत शिकायत के संबंध में उपभोक्ता पखवाड़े में दिनांक 23.12.2020 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान पर पहूंच कर श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जॉच कर अपीलान्ट व मौतबिरान के समक्ष जॉच की जाकर सम्पूर्ण रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा उक्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट द्वारा बरती गई अनियमितओं के संबंध में अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस दिया गया, जिस पर अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष दिनांक 22.1.2021 को उपस्थित होकर अपना जबाब प्रस्तुत किया, इसके पश्चात अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब एव रिकार्ड के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.03.2021 को निर्णय जैर अपील पारित कर अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र के तहत जमा शुदा प्रतिभूति राशि 1000/–रूपये जब्त बहक सरकार किये जाकर अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र को निरस्त करने एवं गबन की गई सामग्री पीडीआरएक्ट में नियमानुसार वसूली के आदेश दिये गये है।

5(1)—अपीलान्ट के विरूद्ध प्रथम आरोप कि वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर प्राधिकार पत्र व नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं द्वितीय आरोप कि वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान व गोदाम का संचालन अन्यत्र स्थान पर होना पाया गया तथा नक्शा जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं पाया गया। अपीलान्ट ने दोनो आरोपो का एक ही जबाब पेश कर प्राधिकार पत्र व नक्शे की छाया प्रति प्रस्तुत की, परन्तु उक्त प्राधिकार पत्र व नक्शे की छाया प्रति अपीलान्ट के स्वंय के हस्ताक्षर [illegible] होने से उक्त दस्तावेज में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना विधि सम्मत [illegible] है [illegible]पीलान्ट डीलर को जो प्राधिकार पत्र जारी किया गया है उसमें पेमाराम माली की दुकान [illegible] गई है जबकि अपीलान्ट डीलर ने जबाब के साथ जो दुकान का नक्शा पेश किया है [illegible] स्वंय का मकान बताया है जो भी जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। [illegible] के नक्शा कब संशोधन करवाया इसका भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 16:31:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

अप्रार्थी डीलर ने अपने जबाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें भी कारबार का परिसर– ग्राम कुड़ली में पेमाराम माली की दुकान अंकित है, इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा कारबार हेतु सक्षम अधिकारी से स्थान परिवर्तन करने की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त दोनों आरोप प्रमाणित है।

5(2)—अपीलान्ट के विरूद्ध तृतीय आरोप यह है कि वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाना पाया गया। इस पर अप्रार्थी डीलर का जबाब है कि आनें लाईन राशन वितरण प्रणाली हेतु नहीं किया गया। आगे से उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक रजिस्टर का संधारण सुचारू रूप से कर लिया जायेगा। आन लाईन राशन वितरण प्रणाली में केवल वितरण रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाता है। जबकि स्टॉक रजिस्टर का संधारण किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में भी केवल मात्र स्टॉक रजिस्टर का संधारण किया हुआ है, का कथन किया है परन्तु उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए अपीलान्ट का कथन मात्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं किये जाने से आरोप भी प्रमाणित है।

5(3)—अपीलान्ट के विरूद्ध चतुर्थ आरोप है कि वक्त निरीक्षण भोतिक सत्यापन्न में दाल का स्टॉक 43 किग्रा कम पाया गया। इस पर अपीलान्ट ने अपने जबाब मे यह बताया है कि दाल का पूर्णतः वितरण कर दिया गया है। दाल का स्टॉक वर्तमान मे निल है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 23.12.2020 को वक्त निरीक्षण फर्द मोका व निरीक्षण प्रपत्र तैयार किये जिसमें प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा तैयार की गई फर्द मौका में दाल का पोश मशीन के अनुसार 102 किलों में से हाजिर स्टॉक 59 किलोग्राम दिखाकर 43 किलोग्राम दाल कम पाना दर्शाया है, जिसमें यह स्पष्ट अंकित है कि कम पाये गये स्टॉक का अन्यत्र कहीं पर भी भण्डारण नहीं किया गया है। जिससे अपीलान्ट ने सही होना मान अपने हस्ताक्षर दो गवाहान मोहम्मद परवेज पुत्र भवरू खां व रणजीत खान पुत्र सुल्लान खान के सामने फर्द को पढ़कर सही होना मानकर किये गये है। अपीलान्ट ने अपील में कथन किया की जितनी दाल का आवंटन वितरण के लिए किया गया था उस समस्त दाल की मात्रा का नियमानुसार वितरण कर दिया है। अपीलान्ट द्वारा अपने उक्त कथन को सही साबित करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, केवल कथन मात्र के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आरोप अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आरोप साबित है।

5(4)—अपीलान्ट के विरूद्ध पंचम व छठा आरोप है कि वक्त निरीक्षण पोश मशीन में रोल लगा हुआ नहीं पाया गया व अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण की पर्ची नहीं दी जा रही है। इस संबंध में अपीलान्ट ने अपने जबाब में बताया कि पोश मशीन में रोल लगा हुआ था मशीन में खराबी के कारण पर्ची का निर्गमन नहीं हो रहा था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा तैयार की गई फर्द मौका रिपोर्ट जो दो गवाहान के समक्ष तैयार की गई है, में स्पष्ट अंकित किया गया है कि पोश मशीन में रोल लगा हुआ नहीं पाया गया और मौके पर उपस्थित आम उपभोक्ताओं ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा वितरण की पर्ची पोश मशीन की नहीं दी जाती है। फर्द मौका पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है जो उसने पढ़कर सही होना मानकर किये है। अपीलान्ट द्वारा उक्तानुसार ही कथन अपील में किये है, परन्तु अपीलान्ट द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए अपीलान्ट का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आरोप प्रमाणित है।

5(5)—अपीलान्ट के विरूद्ध सातवां आरोप है कि वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर मूल्य व स्टॉक सूची अपूर्ण पाई गई। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने जबाब में कथन किया कि वर्षा एवं धूल के कारण उचित मूल्य दुकान पर [illegible] स्टॉक सूची आंशिक रूप से धूंधली हो गई, जिसे पुनः सही करवा लिया जावेगा। अ[illegible]ट ने अपील में कथन किया है कि मूल्य की सूची तथा स्टॉक की सूचना अंकित की हुई थी यदि [illegible] अपूर्ण होती तो उसके सबूत में मूल्य तथा सूची बोर्ड की फोटो भी [illegible] फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किये है, इसलिए यह आरोप गलत है। उक्त [illegible] उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:31:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

न्यायालय में वर्षा एवं धूल के कारण मूल्य एवं स्टॉक सूची आंशिक रूप से धूधंली होने के कथन किया है। वहीं दूसरी ओर अपील में मूल्य की सूची तथा स्टॉक की सूचना अंकित की हुई होना बताया है इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में किये गये कथन एवं अपील में किये गये कथनों में विरोधाभाष है। इसके अलावा निरीक्षण प्रपत्र पत्र के बिन्दु संख्या 10 से 12 के अनुसार मूल्य एवं स्टॉक, आवश्यक सूचनाऐ, टेलीफोन नम्बर इत्यादि का प्रदर्शन नहीं किया हुआ होना पाया गया है, उक्त निरीक्षण प्रपत्र पर दो मौबिरान एवं अपीलान्ट ने उक्त अंकन को स्वीकार करते हुऐ हस्ताक्षर किये है। इसलिए अपीलान्ट का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है एवं अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आरोप प्रमाणित है।

5(6)—अपीलान्ट के विरूद्ध आठवां आरोप कि वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर अप्रमाणित कांटा पाया गया। जिस पर अपीलान्ट द्वारा अवगत करवाया कि कोरोना काल में कम्प्यूटरीकृत कांटा को प्रमाणित करने वाले नहीं आये। अपीलान्ट द्वारा अपील में कथन किया कि कोरोना काल की वजह से कांटे को प्रमाणिकरण नहीं करवाया जा सका लेकिन कांटा पूर्णतः सही है, जिसकी जॉच करवाई जा सकती है। अपीलान्ट के उक्त कथन के संबंध में उल्लेखनीय है कि निरीक्षण की दिनांक 23.12.2020 तक आम जन की सारी व्यवस्थाऐं सुचारू रूप से संचालित हो चुकी थी। इस नो माह की अवधि का फायदा लेने के लिए इसे कोरोना काल बता कर अपीलान्ट उक्त आरोप से मुक्त नहीं हो सकता है। इसके अलावा अपीलान्ट ने यह स्वीकार किया है कि कांटा प्रमाणित नहीं था, ऐसी स्थिति में अप्रमाणित कांटे से तौल कर सामग्री का वितरण नहीं किया जा सकता है। कांटा प्रमाणित करवाने की जिम्मेदारी स्वंय अपीलान्ट की थी, इसलिए उसे कांटा प्रमाणित करवाना चाहिए था अथवा अन्य प्रमाणित कांटा से ही तौल कर सामग्री का वितरण करना चाहिए था। इसलिए अपीलान्ट द्वारा अपने बचाव में किया गया उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नही है एवं अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आरोप प्रमाणित है।

5(7)—अपीलान्ट के विरूद्ध नवम व दशम आरोप है कि अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण में आना कानी करना व उपभोक्ताओं के साथ झगड़ा करना तथा माह अगस्त 2020 में दिनांक 10.08.2020 के पश्चात भी गेहूँ के पैसे वसूल किये गये। अपीलान्ट ने अपने जबाब में उक्त आरोप के संबंध में कुछ भी कथन अधिनस्थ न्यायालय में नहीं किये परन्तु जबाब के साथ ग्रामवासियों के हस्ताक्षरयुक्त एक पत्र पेश किया है, जिसमें यह बताया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पांच किलो गेहूँ के पैसे 01.07.2020 से 10.08.2020 तक 2/—रूपये प्रति किलो के हिसाब से पैसे लिये उसके बाद में पैसे नहीं लिये। अपीलान्ट द्वारा नियमित रूप से राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है व किसी प्रकार की गाली गलोच व लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा अपील में उपभोक्ताओं के साथ लड़ाई झगड़ा करने के कथन को गलत बताया है तथा यह भी कथन किया है कि यदि अपीलान्ट के द्वारा उपभोक्ताओं से लड़ाई झगड़ा किया जाता तो 27 सालों में कोई भी उपभोक्ता के द्वारा मुकदमा आदि दर्ज करवाया जाता लेकिन ऐसा कोई भी प्रकरण आज तक अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज नहीं है। अपीलान्ट ने अपील में यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट ने माह अगस्त 2020 में दिनांक 10.08.2020 के बाद भी गेहूँ के पैसे वसूल है बल्कि पिछले 27 सालों से रेस्पो. संख्या 1 व 2 व राज्य सरकार के द्वारा जारी निर्देशो की पालना करते हुए सुचारू रूप से सामग्री का वितरण करता रहा है, इसलिए आरोप खारिज किये जाने योग्य है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निरीक्षक ने मौके पर उपस्थित गवाहान मोहसीन अली पुत्र शौकत अली, शकरू खां पुत्र फूले खां, रणजीत खां पुत्र सुल्तान खां, परवेज मोहम्मद पुत्र भंवरू खां, इकबाल मोहम्मद पुत्र बाबू खां जातियान कायमखानी निवासी कुड़ली ने अपने पर्चा बयान व सामूहिक बयान में उपरोक्त आरोप की पुष्टि में स्पष्ट कथन किया है कि 10 अगस्त के बार भी हमसे गैहूँ के पैसे वसूल किये गये तथा समय पर गैहू वितरित न[illegible] है। अपीलान्ट द्वारा राशन की दुकान अपने घर में संचालित करने से [illegible] जाती है। अपीलान्ट के साथ—साथ घर की औरते व लड़किया भी लड़ाई झगड़ा करने [illegible] जाती है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत ग्रामवासियों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र अपने समर्थकों [illegible] समझकर अपने बचाव में तैयार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:31:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

जाना प्रतीत होता है। इसलिए अपीलान्ट के उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आरोप प्रमाणित है।

5(8)–अपीलान्ट पर इग्यारवा आरोप यह कि अपीलान्ट द्वारा पांच उपभोक्ताओं जिनके राशन कार्ड 200000817451, 200001163563, 200001018813, 200001164214, 200004340419 पर ऑनलाईन ट्रांजेक्शन कर भौतिक रूप से राशन सामग्री नहीं देकर 5.75 क्वि0 गेंहू व 18 किग्रा दाल का गबन किया गया। अपीलान्ट ने अपने जबाब में उक्त गबन का आरोप झूठा होना बताया है। इन सभी राशन कार्ड धारकों को फिगर या ओटीपी के माध्यम से नियमित रूप से भौतिक वितरण करके उपरोक्त कार्ड धारकों के राशन कार्डों में देय मात्रा की ऐन्ट्री की गई है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु आप जांच करवा सकतें हो, का निवेदन किया। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर मोके पर उपस्थित गवाहान मोहसीम अली पुत्र शोकतअली, शकरू खां पुत्र फूले खां, रणजीत खां पुत्र सुलतान खां, परवेज मोहम्मद पुत्र भंवरू खां, इकबाल मोहम्मद पुत्र बाबू खां जातियान कायमखानी निवासी कुडली के पर्चा बयान लिये गये जिसमें उक्त गवाहान ने राशन कार्ड में दर्ज सामग्री के अलावा अन्य कोई राशन सामग्री नहीं दिया जाना बताया है। उक्त गवाहान के राशन कार्ड नम्बर 200000817451, 200001163563, 200001018813, 200001164214, 200004340419 पर ऑनलाईन ट्राजेक्शन व राशन कार्डों में दर्ज सामग्री की जॉच करने पर उक्त राशन कार्डों में 5.75 क्वि0 गेंहू व 18 किग्रा दाल का ऑनलाईन ट्रान्जेकशन हुआ है, किन्तु उक्त वितरण सामग्री राशन कार्ड में दर्ज नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा 5.75 क्वि0 गेंहू व 18 किग्रा दाल का गबन किया गया है। उपभोक्ताओं से उक्त मूल राशन कार्डों को वास्ते सबूत मौके पर ही लिये गये है, परन्तु उक्त राशन कार्डों में उक्त सामग्री वितरण का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसलिए अपीलान्ट का उक्त स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप प्रमाणित है।

5(9)–अपीलान्ट पर बारहवां आरोप यह कि अपीलान्ट द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आधार सीडिंग की प्रगति के संबंध में प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा बार–बार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी आधार सीडिंग कार्य में असहयोग किया जा रहा है तथा आदिनांक तक 246 यूनिट सीडिंग करवाया जाना शेष है। इस संबंध में अपीलान्ट ने अपने जबाब में बताया कि बन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आधार सीडिंग कार्य में प्रारम्भ में 430 यूनिट थे, जिसमें से 170 यूनिटों के आधार सीडिंग करवा दिये गये थे, कुछ पात्रों के नाम हटवा दिये गये तथा कुछ लोगों की स्लीपों की सीडिंग करवाई गई है। निर्देशानुसार घर घर जाकर लोगों की सीडिंग का कार्य करवा रहे है। उक्तानुसार ही कथन प्रस्तुत अपील में किये गये है। इस प्रकार अपीलान्ट के कथन से ही यह स्पष्ट है कि प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा बार–बार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया है। इसलिए अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आरोप प्रमाणित है।

5(10)–अपीलान्ट द्वारा उसके विरूद्ध उपुर्यक्तानुसार आरोपों को खण्डित करने के संबंध में कोई ठोस एवं प्रमाणित साक्ष्य एवं कथन नहीं किये है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध समस्त आरोप प्रमाणित होना मान कर निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो उचित होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6–अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

7–निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:31:39 IST
Reason: SelfAttested

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर नागौर
कलक्टर, नागौर